



2026:AHC:63404

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 5900 वर्ष 2026

वीरेन्द्र पाल

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

..... प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	नरेंद्र देव उपाध्याय, विनय भूषण उपाध्याय
प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 74

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेंद्र देव उपाध्याय तथा राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री विश्व दीपक मिश्रा को सुना।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत यह आवेदन, अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-2, बिजनौर के न्यायालय में लंबित परिवाद संख्या 3850 वर्ष 2021 (सुबोध कुमार त्यागी बनाम वीरेन्द्र पाल), अंतर्गत धारा 138, नेगोशिएबल इंडस्ट्रमेंट्स एक्ट के अंतर्गत थाना कोतवाली शहर, जिला बिजनौर, की संपूर्ण कार्यवाही के साथ-साथ अपर सिविल जज, बिजनौर द्वारा पारित सम्मन आदेश दिनांक 21.04.2022 तथा आदेश दिनांकित 01.07.2022 जिसके माध्यम से जमानती वारंट जारी किया गया था, तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट), बिजनौर द्वारा निगरानी (पुनरीक्षण) संख्या 01/2025 (सुबोध कुमार त्यागी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 21.08.2025, एवं जमानती वारंट आदेश दिनांक 13.10.2025 व गैर-जमानती वारंट आदेश दिनांक 11.11.2025 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने शिकायतकर्ता को प्लॉट बेचने के लिए विपक्षी संख्या 2 से 33 लाख रुपये की राशि प्राप्त की थी। इसके पश्चात, आवेदक द्वारा विवादित प्लॉट का कोई विक्रय विलेख निष्पादित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं किया गया, तब आवेदक ने विवादित चेक के माध्यम से उक्त राशि वापस की, जो अनादृत हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने पंजीकृत नोटिस भेजा, परंतु आवेदक द्वारा राशि वापस नहीं की गई, जिसके कारण वर्तमान शिकायत दर्ज की गई है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया नोटिस न्यायिक विवेक के प्रयोग के बिना है। शिकायत के अवलोकन से कथित धारा के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है। चेक शिकायतकर्ता/विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया था, परंतु चेक आशा देवी नामक महिला के खाते में प्रस्तुत किया गया, जो विपक्षी संख्या 2 की माता हैं। चूँकि चेक शिकायतकर्ता के स्वयं के खाते में प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए वर्तमान शिकायत विचारणीय नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है। साथ ही, आवेदक ने विवादित राशि का पूर्ण भुगतान यूपीआई के माध्यम से कर दिया है, जिसे अनुलग्नक-4 के रूप में संलग्न किया गया है, और उस आधार पर आवेदक के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि कोई भी देय राशि शेष नहीं है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने आदेश दिनांक 25.10.2024 के माध्यम से आवेदक की शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि न्यायालय के आदेश के बावजूद शिकायतकर्ता ने सम्मन जारी करने हेतु आवश्यक कदम नहीं उठाए थे, और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के तहत शिकायत को निरस्त कर दिया गया। विपक्षी संख्या 2 ने इसके विरुद्ध आपराधिक निगरानी दायर की, जिसे दिनांक 21.08.2025 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया। निगरानी न्यायालय ने दिनांक 25.10.2024 के आदेश को निरस्त कर दिया और विचारण न्यायालय को कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया। निगरानी स्वीकार करते समय निगरानी न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के विरुद्ध 10,000/- रुपये का जमानती वारंट जारी किया गया था। वर्तमान शिकायत विद्वेषपूर्ण अभियोजन है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा राकेश उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या 14197 वर्ष 2024) में दिनांक 01.05.2024 को पारित निर्णय पर भरोसा जताया है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध किया और तर्क दिया कि आवेदक ने विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए शिकायतकर्ता से धनराशि ली थी, किंतु जब वह सफल नहीं हो सका, तब आवेदक ने चेक के माध्यम से राशि वापस की। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा चेक को स्वयं के खाते में प्रस्तुत न करने के संबंध में जो तर्क दिया गया है, उसे इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता कि आशा देवी विपक्षी



संख्या 2 की माता हैं। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि वह खाता विपक्षी संख्या 2 की माता द्वारा एकल रूप से संचालित किया जा रहा था; अतः प्रथम दृष्ट्या, आवेदक के विरुद्ध अपराध बनता है। शिकायत की अंतर्वस्तु और महत्वपूर्ण साक्ष्यों के अवलोकन से आवेदक के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या अपराध घटित होना प्रतीत होता है। इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, आवेदक के अधिवक्ता की दलीलें तथ्यों के विवादित प्रश्न हैं, जिनका इस स्तर पर परीक्षण नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि चेक आवेदक द्वारा जारी किया गया है और चेक पर आवेदक के हस्ताक्षर हैं, जो अनादृत हो गया है। प्रथम दृष्ट्या, आवेदक के विरुद्ध अपराध बनता है। मामले का आक्षेपित आदेश न्यायसंगत और उचित है।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्री ओम सेल्स बनाम अभय कुमार उर्फ अभय पटेल एवं अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 2897 में निम्नलिखित निर्णयों पर विचार किया है

"14. मारुति उद्योग लिमिटेड बनाम नरेंद्र एवं अन्य के मामले में, इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यह उपधारणा की जानी चाहिए कि चेक के धारक ने धारा 138 में उल्लिखित प्रकृति का चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के निर्वहन के लिए प्राप्त किया था, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए। अतः, कार्यवाही के प्रारंभिक चरण में ही अभियुक्त के तर्क को स्वीकार करना और शिकायत को निरस्त करना उच्च न्यायालय के लिए न्यायसंगत नहीं था।

15. इसी प्रकार, रंगप्पा बनाम श्री मोहन के मामले में यह निर्धारित किया गया कि एन.आई. एक्ट की धारा 139 द्वारा अधिदेशित उपधारणा में 'कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व' का अस्तित्व भी शामिल है। यह देखा गया कि ऐसी उपधारणा खंडन योग्य है, और अभियुक्त को विचारण के दौरान अपना बचाव प्रस्तुत करना चाहिए।

16. राजेशभाई मूलजीभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य के मामले में यह निर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय को धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत आपराधिक शिकायत को तथ्यों के विवादित प्रश्नों में जाकर निरस्त नहीं करना चाहिए कि प्रश्नगत चेक ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था या नहीं। विशेष रूप से तब, जब एन.आई. एक्ट की धारा 139 चेक के संबंध में ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किए जाने के रूप में एक वैधानिक उपधारणा उत्पन्न करती है।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. रथीश बाबू उन्नीकृष्णन बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) के मामले में, इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जब एन.आई. एक्ट की धारा 139 के तहत एक कानूनी उपधारणा मौजूद हो, तो शिकायत को निरस्त करने के लिए विचारण-पूर्व चरण पर तथ्यों के विवादित प्रश्न की विस्तृत जांच करना विवेकपूर्ण नहीं होगा। उक्त निर्णय के प्रासंगिक अवलोकन नीचे उद्धृत हैं:

"17. कानून का उपरोक्त सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि न्यायालय को विचारण-पूर्व चरण पर शिकायत को निरस्त करने की राहत प्रदान करने में सावधानी बरतनी चाहिए, विशेष रूप से तब जब तथ्यात्मक विवाद संभावना के दायरे में हो और इस मामले की तरह कानूनी उपधारणा मौजूद हो। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बिना कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए जो तथ्यात्मक बचाव लिया जाता है, उसकी गुणवत्ता 'अकाट्य' होनी चाहिए, ताकि वह शिकायत में लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से झुठला सके।

18. विचारण-पूर्व चरण में आपराधिक प्रक्रिया को बाधित करने के परिणाम गंभीर और अपूरणीय हो सकते हैं। प्रारंभिक चरणों में कार्यवाही को निरस्त करने का परिणाम अंतिम निर्णय के रूप में निकलेगा, जिसमें पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिल पाएगा और इसका परिणाम यह होगा कि उचित मंच, अर्थात् विचारण न्यायालय, भौतिक साक्ष्यों का मूल्यांकन करने से वंचित रह जाएगा। यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो अभियुक्त को आपराधिक प्रक्रिया में अनुचित लाभ मिल सकता है। इसके अलावा, कानूनी उपधारणा के कारण, जब अपीलकर्ता द्वारा चेक और हस्ताक्षरों पर विवाद नहीं किया गया है, तो इस स्तर पर सुविधा का संतुलन शिकायतकर्ता/अभियोजन के पक्ष में है, क्योंकि अभियुक्त के पास विचारण के दौरान उपधारणा को खंडित करने हेतु बचाव पक्ष का साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर होगा।

19. ऐसी स्थिति में, सम्मन आदेश के स्तर पर शिकायतकर्ता को वाद से बाहर करना, जबकि तथ्यात्मक विवाद पर अभी विचारण न्यायालय द्वारा बहस और विचार किया जाना शेष है, हमारी राय में विवेकपूर्ण नहीं होगा। प्रथम दृष्ट्या प्रभाव के आधार पर, यहाँ आपराधिकता के तत्व को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, जो कि विचारण न्यायालय के निर्णय के अधीन है। इसलिए, जब कार्यवाही प्रारंभिक चरण में हो, तो आपराधिक प्रक्रिया को बाधित करना उचित नहीं है।"

8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त मामले का निर्णय करते समय पैराग्राफ 13 और 18 में निम्नलिखित टिप्पणी की हैं:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"13. हालांकि, उच्च न्यायालय ने धारा 482 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए यह परीक्षण करना शुरू कर दिया कि क्या चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए जारी किया गया था। हमारी राय में, ऐसा अभ्यास अनावश्यक था क्योंकि एन.आई. एक्ट की धारा 139 के तहत यह उपधारणा मौजूद है कि चेक के धारक ने धारा 138 में संदर्भित प्रकृति का चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए प्राप्त किया है। इस उपधारणा को विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों द्वारा खंडित किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, उक्त मुद्दे का उचित निर्णय या तो विचारण के दौरान, या विचारण की समाप्ति के पश्चात अपीलीय/निगरानी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।"

"18. इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों और साथ ही एन.आई. एक्ट की धारा 139 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय ने विचारण-पूर्व चरण पर, चेक के ऋण या दायित्व के निर्वहन हेतु जारी किए जाने के संबंध में एक विस्तृत/भ्रामक जांच करके त्रुटि की है। हमारी दृष्टि में, संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का ऐसा प्रयोग उचित नहीं था, विशेष रूप से तब जब शिकायत के आरोपों से यह प्रकट हो रहा था कि चेक दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था। चूंकि शिकायत के आरोपों से प्रथम दृष्ट्या एन.आई. एक्ट की धारा 138 के आवश्यक तत्वों की पूर्ति होती है, हमारी राय में, उच्च न्यायालय द्वारा विचारण-पूर्व चरण पर न तो सम्मन आदेश और न ही शिकायत को निरस्त किया जा सकता था।"

9. माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के आलोक में, इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन **खारिज** किया जाता है।

26 मार्च, 2026

नितिन वर्मा

(न्यायमूर्ति दीपक वर्मा)